



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1813/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
रमेश कुमार सोनी ग्राम पोस्ट कालवाड], Jaipur ,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति झोटवाडा, Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 11/04/2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से कुश मिश्रा, लिपिक, उपस्थित।
3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 24-7-17 के द्वारा खसरा नम्बर 558/1089 ग्राम पंचायत कालवाड से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में कतिपय सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उन्हें अभी तक चाही गई सूचना अधिप्रमाणित कर उपलब्ध नहीं करवाई गई है। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि वांछित सूचना तलाश करवा कर अपीलार्थी को सूचना से सम्बन्धित कार्यालय कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर सूचना तैयार करवा कर पत्र दिनांक 9-4-18 के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा चुकी है।
6. प्रत्यर्थी द्वारा आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलार्थी को प्रेषित पत्र दिनांक 9-4-18, जिसकी प्रति आयोग को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी द्वारा पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।
7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थी को प्रेषित सूचना अधिप्रमाणित कर उपलब्ध करवाई गई है। अतः प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में पूर्व प्रेषित सूचना के अनप्रमाणित अंश उनके सम्मुख प्रस्तुत कर दें तो उन्हें उसी समय सूचना अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करवा दें।
8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त